



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 23 नवम्बर, 2017 ई0

अग्रहायण 02, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

संख्या 984 / 2017 / 9(120) / XXVII (8) / 2017

देहरादून, 23 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, उन वस्तुओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिया गया है, जो उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष के तत्संबंधी प्रविष्टि के टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो, में निर्दिष्ट के अनुसार स्तंभ (2) में संबंधित प्रविष्टि, नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (4) में राज्य कर की दर तथा स्तंभ (5) में निर्दिष्ट शर्त के अधीन हों, को अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, यथा:-

## तालिका

क्रम सं०	अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष, या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर	शर्त सं०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	87	मोटर व्हीकल	अधिसूचना सं० 514/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 के अंतर्गत, ऐसे माल पर लागू राज्य कर की दर का 65%	1
2	87	मोटर व्हीकल	अधिसूचना सं० 514/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 के अंतर्गत, ऐसे माल पर लागू राज्य कर की दर का 65%	2

2. बशर्ते कि इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात 01 जुलाई 2020 को या उसके बाद लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,

- (1) इस अधिसूचना में उल्लिखित, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से अभिप्राय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष, अध्याय से है।
- (2) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची की व्याख्या से संबंधित नियम, जिसमें इस प्रथम अनुसूची के खंड और अध्याय नोट्स और सामान्य स्पष्टीकरण और टिप्पणियां भी शामिल हैं, इस अधिसूचना की व्याख्या के लिए भी लागू होंगे।

## अनुबंध

शर्त सं०	शर्त
1	मोटर वाहन को पट्टाकर्ता ने 01 जुलाई, 2017 से पहले खरीदा हो और उसे 01 जुलाई, 2017 के पहले पट्टे पर दिया हो।
2	<ol style="list-style-type: none"> <li>i. मोटर वाहन का आपूर्तिकर्ता एक पंजीकृत व्यक्ति हो।</li> <li>ii. ऐसा आपूर्तिकर्ता जिसने मोटर वाहन को 01 जुलाई, 2017 से पहले खरीदा हो और उसने उस पर भुगतान किये गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर या अन्य कोई कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट न लिया हो।</li> </ol>

3. यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,  
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 984/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated November 23, 2017 for general information:

No. 984/2017/9(120)/XXVII(8)/2017  
Dated Dehradun, November 23, 2017

**NOTIFICATION**

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to notify the State tax on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), of the Table below, at the rate specified in corresponding entry in column (4) and subject to relevant conditions annexed to this notification, if any, specified in the corresponding entry in column (5) of the Table aforesaid:

**TABLE**

Sl. No.	Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item	Description of Goods	Rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	87	Motor Vehicles	65% of State tax applicable otherwise on such goods under Notification No. 514/2017/ 9(120)/XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017	1
2.	87	Motor Vehicles	65% of State tax applicable otherwise on such goods under Notification No. 514/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017	2

2. Provided that nothing contained in this notification shall apply on or after 1<sup>st</sup> July, 2020.

**Explanation** –For the purposes of this notification, -

- (i) “Tariff item”, “sub-heading” “heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

- (ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

**ANNEXURE**

<b>Condition No.</b>	<b>Condition</b>
1.	The Motor Vehicles was purchased by the lesser prior to 1 <sup>st</sup> July, 2017 and supplied on lease before 1 <sup>st</sup> July, 2017
2.	i. The supplier of Motor Vehicle is a registered person. ii. Such supplier had purchased the Motor Vehicle prior to 1 <sup>st</sup> July, 2017 and has not availed input tax credit of central excise duty, Value Added Tax or any other taxes paid on such vehicles

3. This notification shall deemed to come into force from 13<sup>th</sup> day of October, 2017.

By Order,  
RADHA RATURI,  
Principal Secretary.